

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 214/सम्पदा/भोविप्रा/26

भोपाल, दिनांक 06/04/2026


प्राधिकरण की गौरीशंकर कौशल घरौंदा आवासीय योजना बरई में स्थित 2 बी0एच0के एवं 1बी0एच0के0 प्रकोष्ठों का विक्रय निम्न तालिकाओं में वाणित होकर ऑन लाईन <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से नियत दर पर दिनांक 07/04/2026 से दिनांक 22/04/26 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 23/04/26 को खोले जायेंगे।

| संख्या क्र0 | प्रकोष्ठो/ईक ईयों का विवरण | प्रकोष्ठ ईकाईयों का उपयोग | प्रति प्रकोष्ठ का अनुमानित सुपर विल्टप क्षेत्रफल | आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो | प्रकोष्ठो/ इकाईयों का अरक्षित मूल्य | पट्टे (लीज) के प्रकरण में वार्षिक पट्टा भाडा | अमानत की राशि |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| 2 बी.एच.के प्रकोष्ठ | | | | | | | |
| 01 | L-5/509 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 02 | L-6/206 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 03 | L-9/603 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 04 | L-12/602 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 05 | L-5/103 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 06 | L-16/502 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 07 | L-17/101 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 08 | L-15/302 | आवासीय | 51.15 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 10,00,000/- | 30 /- | 1,00,000/- |
| 1 बी.एच.के प्रकोष्ठ | | | | | | | |
| 01 | E-6/303 | आवासीय | 32.56 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 5,00,000/- | 22 /- | 50,000/- |
| 02 | E-22/306 | आवासीय | 32.56 वर्ग मीटर | अनारक्षित | 5,00,000/- | 22 /- | 50,000/- |

प्रकोष्ठों के आवेदन पत्र के साथ नियम शर्तें संलग्न रहेगी:-

- 1 बीएचके हेतु 1 से 3 लाख एवं 2बीएचके हेतु 3 से 6 लाख तक वार्षिक आय का निर्धारित प्रारूप में स्वयं का घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त प्रकोष्ठ की शेष राशि जमा करने की समयावधि एवं नियम शर्तें आवंटन आदेश में वाणित अनुसार देय/मान्य होगी।
- निर्धारित प्रकोष्ठों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा। जिसकी सूचना पंजीयनकर्ताओं को पृथक से दी जावेगी।
- आवंटन सुनिश्चित होने के पश्चात आवंटन निरस्त कराने पर पंजीयन वापसी संबंधी कार्यवाही व्ययन नियम अनुसार की जावेगी।
- प्रकोष्ठ मूल्य का 100 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

6. आवंटियों का आवंटित प्रकोष्ठ की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा तभी निष्पादित कराई जावेगी जबकी कलेक्टर कार्यालय से पंजीयन शुल्क में छूट का प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्राप्त होगा। छूट प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर आवंटी चाहे तो प्राधिकरण में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर की वह बिना छूट प्राप्त किये लीजडीड निष्पादित कराने को तैयार है प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जाकर बिना छूट प्रमाण पत्र की लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही कर सकता है।
7. नियमानुसार समिति शुल्क, सेवा शुल्क एवं अन्य प्रभार देय होंगे।
8. किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय भोविप्रा का निर्णय मान्य होगा।


सम्पदा अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल